राजस्थान सरकार

...अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

...पुत्र बुधराम जाति विश्नोई, निवासी ...रिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1 महीराम पुत्र माधाराम जाति विश्नोई, निवासी पनोरिया, तह.सेड़वा 2. सांवलाराम पुत्र मेहराराम जाति जाट, निवासी पनोरिया, त. सेड़वा 3 बलवंतदान पुत्र भेरदान 4. मंगलदान पुत्र गुणेशदान 5. सुखदान पुत्र गुणेशदान 6. सायर बाई पत्नि गुणेशदान जाति चारण 7. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा वेड़िया तहसील चितलवाना 8. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न......113..../2024

25/5/24 **प्रार्थी** जयराम पुत्र बुधराम **जाति** विश्नोई **निवासी** पनोरिया **तहसील** सेड़वा, **जिला** बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री दोष मोहम्मद** वादपत्र वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि. फागलिया के खसरा संख्या 930/548 रकबा 9.9230 हैक्टर, भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्राथी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि. फागलिया के खसरा संख्या 930/548 रकबा 9.9230 हैक्टर, भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा वादग्रस्त भूमि पर खड़े वर्षो पुराने माठ, बाड़ व मांठो में रदो–बदल, छेड़–छाड़ नहीं करें तथा न ही मांठो को काटे तथा प्रार्थी को बेदखल कर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थी के खेत में अप्रार्थीगण जबरन प्रवेश नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 25/6/24 को पेश हो।

12/5/24

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

25/05/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी स्वयं उप.। चुंकि मूलवाद के जरिये राजीनामा निर्णय कर दिया गया है तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

Jay Ram